नागरिक अधिकार-पत्र/ग्राहक अधिकार-पत्र

उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट: www.fert.nic.in

जारी करने की तारीख:- 21 मई, 2020

नागरिक/ग्राहक अधिकार-पत्र- उर्वरक विभाग

उद्देश्य और मिशन

<u>उद्देश्य</u>:-

सुदृढ़ घरेलू उर्वरक उद्योग द्वारा समर्थित सतत कृषि विकास हेतु देश के लिए उर्वरक सुरक्षा हासिल करना

<u>मिशन</u>:-

देश में उर्वरकों के योजनाबद्ध उत्पादन और आयात तथा वितरण और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की योजना के जरिए किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समयोचित उपलब्धता सुनिश्चित करना।

अधिकार-पत्र समीक्षा की अगली तारीख:- 31 मई, 2022

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-	जिम्मेवार	ई-मेल	मोबाइल	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज		फीस	
	देन	व्यक्ति		(दूरभाष सं.)			श्रेणी	पद्धति	राशि
		(पदनाम)							
1.	स्वदेशी	श्रीमती	<u>rekha.sharm</u>	26106817	स्वदेशी यूरिया	1. अनुलग्नक I,II, V, IX, X, ईसीए विवरण और	लागू	लागू	लागू
	यूरिया के	रेखा शर्मा,	a62@nic.in			प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित	नहीं	नहीं	नहीं
	लिए उर्वरक	संयुक्त			जारी रियायत दर पर	ן אווילו וליזוכ			
	कंपनियों	निदेशक			60 दिन के अन्दर	2. 4165 51475667(1141447 YIGH 1714147 47			
	को समय	(एफएंडए)			लेखागत भुगतान पर	प्रमाण-पत्र, जहां कहीं आवश्यक हों			
	पर				95%	3. पूर्ण दावे की हस्ताक्षरित प्रति (एफएमएस में			
	राजसहायता					अपलोड की गई)			
	का भुगतान					4. जून के दावों के साथ इकाइयों द्वारा प्रस्तुत			
						किए जाने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और			
						सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा भली-भांति			
						हस्ताक्षरित पिछले वर्ष के अनुलग्नक III और XI			
						5. संबंधित तिमाही के समाप्ति के माह के दावे			
						सहित प्रत्येक तिमाही के लिए प्राधिकृत			
						हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुलग्नक			
						XII (क) और XII (ख)			
					वार्षिक रियायत दर पर	1. पूर्ण दावे की हस्ताक्षरित प्रति (एफएमएस पर	लागू	लागू नहीं	लागू
					30 दिन के भीतर 5%	अपलोड की गई)	नहीं		नहीं
					बकाया दावे का	2. चार्टर्ड अकाउंटेट/सांविधिक लेखा परीक्षकों का			
					भुगतान	प्रमाण-पत्र जहां कहीं आवश्यक हो।			
						3. प्रोफार्मा बी-1 तथा बी-2, जो भी लागू हो।			
					30 दिनों के भीतर बढ़े		लागू	लागू नहीं	लागू
					हुए दावों का निपटान		नहीं		नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	जिम्मेवार व्यक्ति	ई-मेल	मोबाइल	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज		फीस	
		(पदनाम)		(दूरभाष सं.)			श्रेणी	पद्ध	राशि
								ਗਿ [*]	
2.	स्वदेशी सहित	डॉ. मधु शर्मा,	madhu.sharma8	(23062608)	<u>आयातित</u>	एसटीई द्वारा प्रस्तुत 98% अग्रिम भुगतान दावा बिल के	लागू	लागू	लागू
	आयातित पीएण्डके		6@gov.in		<u>यूरिया</u>			.`. नहीं	.`. नहीं
	आयातित यूरिया,				ू प्रारंभिक	ा. 1. उर्वरक विभाग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र			
	तथा शहरी कंपोस्ट				भ्गतान दावा	2. एसटीई की बिक्री-खरीद समिति (एसपीसी) द्वारा			
	हेतु उर्वरक कंपनियों				की गई राशि के	अनुमोदन और आपूर्तिकर्ताओं से निष्पादन गारंटी (पीजी)			
	को राजसहायता का					बॉड के लिए वचन-पत्र			
	समय पर भ्गतान				भ्गतान 10	3. बैंक से क्रेडिट पत्र (एलसी) खोलने का प्रमाण पत्र			
	J				कार्य दिवसों के	4. सेलिंग एडवाइस			
					अंदर	5. खरीद संविदा			
						6. बीमा प्रमाण-पत्र			
						7. उर्वरक विभाग द्वारा जारी नामांकन संदेश और			
						8. ट्रांसचार्ट से सीएण्डएफ की माफी			
						9. लदान-पत्र (बीएल)			
						10. लोडपोर्ट गुणता प्रमाणपत्र			
						11. दस्तावेज के बदले नकद (सीएडी) भुगतान के लिए			
						उर्वरक विभाग का अनुमोदन			
						12. एईडी में आयात भुगतान के मामले में पहुंच रिपोर्ट			
						यूरिया की लागत के 100% भुगतान के लिए जांच सूची:-			
						जहाजरानी प्रभाग से प्राप्त मैसर्स ओमिफ्को के दावे			
						1. लदान-पत्र (बीएल)			
						2. वाणिज्यिक बीजक			
						3. उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र			
						4. भराई (स्टोवेज) योजना			
						5. प्रारूप सर्वे रिपोर्ट			
						6. लोडपोर्ट पर गुणता प्रमाण-पत्र			
						7. नामांकन संदेश			

क्र.सं.	सेवाएं/ले	जिम्मेवार व्यक्ति	ई-मेल	मोबाइल	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज		फीस	
	न-देन	(पदनाम)		(दूरभाष सं.)			श्रेणी	पद्ध	राशि
								ति	
					आयातित यूरिया		लागू	लागू	लागू
					अंतिम भुगतान	1. बीमा दस्तावेज	नहीं	नहीं	नहीं
					शेष 2% दावा	2. आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान के समर्थन में बैंक अग्रिम			
						3. वाणिज्यिक बीजक			
						4. लदान-पत्र (बीएल)			
						5. लोड बंदरगाह ड्रॉट सर्वे रिपोर्ट			
						6. मूल देश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र			
						7. लोडपोर्ट पर निरीक्षण/गुणता का प्रमाण-पत्र			
						8. उतराई बंदरगाह का गुणता प्रमाणपत्र			
						9. भराई (स्टोवेज) योजना			
						10. निरीक्षण एजेंट द्वारा विधिवत सत्यापित विक्रेता निरीक्षण प्रमाणपत्र			
						11. उतराई बंदरगाह पर संयुक्त ड्राट सर्वे रिपोर्ट			
					आयातित यूरिया	90% महासागर मालभाड़ा हेतु			
					आरंभिक भुगतान 7	1. शिपिंग प्राधिकार			
					कार्य दिवसों के	2. लदान-पत्र की प्रति			
					भीतर 90%	3. सेलिंग एडवाइस की प्रति			
					महासागर मालभाड़ा	4. निकासी नोट			
					राशि	5. चार्टर पार्टी करार की प्रति			
						6. उतराई पोर्ट पर एनओआर की प्रति			
					आयातित यूरिया	शेष 10% महासागर मालभाड़ा हेतु			
					अंतिम भुगतान 60	1. शिपिंग प्राधिकार			
					दिनों के भीतर 10%				
					महासागर मालभाड़ा	3. उतराई पोर्ट ले टाइम गणना			
					राशि	4. निकासी नोट			
						5. ले टाइम गणना द्वारा जहाजरानी प्रभाग का अनुमोदन			

क्र.	सेवाएं/	जिम्मेवार	ई-मेल	मोबाइल	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज		फीस	
सं.	लेन-	व्यक्ति		(दूरभाष सं.)			श्रेणी	पद्ध	राशि
	देन	(पदनाम)						ਰਿ [*]	
					स्वदेशी एवं आयातित पीएण्डके	लेखागत दावे (एसएसपी को छोड़कर):-	लागू	लागू	लागू
					उर्वरकों का आरम्भिक भुगतान	1. कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा	• •	नहीं	नहीं
						विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 'क' और 'ग'			
					पूर्ण प्रलेखित दावों की प्राप्ति के	2. सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाण-पत्र			
					10 दिन के भीतर एनबीएस दर	3. वचन-पत्र			
					के आधार पर 85%/90% राशि	4. कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत			
					के समान दावों का लेखागत	हस्ताक्षरित अनुलग्नक-1			
					भुगतान	5. बैंक गारंटी (90% दावों के मामले में)			
						6. एमआरपी का प्रमाणपत्र			
						7. लागत आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रमाणपत्र			
						एसएपी के संबंध में लेखागत दावे			
						1) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 'क' और 'ग'			
						2) सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र			
						3) गुणता प्रमाण-पत्र			
						4) उत्पादन प्रमाण-पत्र			
						5) वचन-पत्र			
						6) अनुलग्नक (लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिक्री के ब्यौरे को			
						दर्शाने वाला)			
						7) प्रपत्र ड.			
						8) प्रपत्र च			
						9) बैंक गारंटी (90% दावों के मामले में)			
					स्वदेशी एवं आयातित पीएंडके	<u>बकाया (15%/10%) दावे:</u>	लागू	लागू	लागू
					<u>उर्वरक</u>	1. प्रपत्र में दावा (समेकित) तथा कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा	नहीं	नहीं	नहीं
					अंतिम भुगतान	सांविधिक लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र बीएंडडी में राज्यवार दावा।			
						2. प्रपत्र बी1 में गुणता प्रमाणपत्र।			
					30 दिनों के भीतर बकाया दावों	3. प्रपत्र बी2 में गुणता प्रमाणपत्र (एसएसपी को छोड़कर)।			
					(15%/10%) का भुगतान	4. एमएफएमएस में खुदरा विक्रेता पावती			

	मुख्य सवाए/लन-	दम							
क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	जिम्मेवार व्यक्ति	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज		फीस	
		(पदनाम)		सं.)			श्रेणी		राशि
3.	डीबीटी स्कीम स्वदेशी तथा आयातित पीएंडके उर्वरकों, स्वदेशी यूरिया तथा शहरी कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का	डॉ. मधु शर्मा, निदेशक (ए/सी)	madhu.sharma86@g ov.in	23062608	लाभग्राही को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक/ विनिर्माता/आयातक कंपनियों को राजसहायता का 100% भुगतान	1. आईएफडी की सहमित से कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जारी अग्रिम मंजूरी। 2. उर्वरक कंपिनयों द्वारा आईएफएमएस में साप्ताहिक दावों की प्रस्तुति जिसमें खुदरा बिक्री केंद्र पर बेची गई उर्वरक की मात्रा, खुदरा विक्रेताओं की सूची दर्शाई गई हो जिन्होंने उर्वरक की बिक्री की तथा ऐसे लाभग्राही के ब्यौरे जिन्होंने राजसहायताप्राप्त उर्वरक खरीदा है। 3. प्रपत्र बी1 तथा बी2		लागू नहीं	लागू नहीं
4	(i)डीएसीएण्डएफड ब्ल्यू के आवश्यकता के अनुमान के अनुसार सभी राज्यों में उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके) की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (ii)डीएसीएण्डएफड ब्ल्यू द्वारा आकलित किये गये अनुसार स्वदेशी उत्पादन और आवश्यकता के बीच के अंतर को प्रा करने के लिए समय से यूरिया के आयात की व्यवस्था करना।	श्री जितन चोपड़ा, एसी (संचलन)	ac.movement-fert@nic.in	9717646416	खरीफ के लिए 25 मार्च रबी के लिए 25 सितम्बर	डीएसीएण्डएफडब्ल्यू से अंतिम आवश्यकता तथा उर्वरक विभाग के पीएण्डआई प्रभाग से उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति	लाग् नहीं	लाग् नहीं	लाग् नहीं

5.	डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार उत्पादन का समय पर निर्धारण	श्री जोहान टोपनो डीएस (ईएण्डएस)	Johan.topno@nic.in	9868101749 (23388064)	कंपनियों से उनके अनुमानित लक्ष्यों पर विचार विमर्श करने के पश्चात उत्पादन लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।		लाग् नहीं	लाग् नहीं	लागू नहीं
6.	विक्रेताओं को समय पर बिलों का भ्गतान	श्री प्रभास कुमार, निदेशक	k.prabhas@nic.in	9463913511 (23386398)	दावों की प्राप्ति		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	मांगी गई जानकारी का उत्तर देना	श्री विक्रांत सचदेव (उपसचिव)	dsfin-fert@gov.in	6810157400 (23388536)	विभिन्न प्रकार की शंकायें	संगत दस्तावेज		लागू नहीं	
7.	त्वरित शिकायत निवारण	श्री विक्रांत सचदेव (उपसचिव)	dsfin-fert@gov.in	9810157400	शिकायतों की प्राप्ति	संगत दस्तावेज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवा/लेनदेन	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई	आंकड़ों का स्रोत
			(दिवस)		
1.	स्वदेशी यूरिया के लिए उर्वरक	स्वदेशी यूरिया	60	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
	कंपनियों को राजसहायता का समय	जारी रियायत दर 60 दिनों के भीतर 95% लेखागत भुगतान			
	से भुगतान	वार्षिक रियायत दर पर 30 दिनों के भीतर 5% शेष दावे का भुगतान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
		_			
			20		
		30 दिन के भीतर वृद्धि दावों का निपटान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
2.	स्वदेशी तथा आयातित पीएंडके	1. आयातित यूरिया	10	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
	उर्वरक, आयातित यूरिया तथा शहरी	(i) आयातित यूरिया के लिए निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन दावा			
	कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को	की गई राशि का 98%			
	राजसहायता का समय से भुगतान				

	(ii) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन निपटान के 30 कार्य दिवस के	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
	भीतर शेष भुगतान		पगप ।पपरा	-
	2. स्वदेशी यूरिया तथा आयातित पीएण्डके (i) जारी रियायत दर पर 60 दिन के भीतर आरंभिक भुगतान।	60	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
	(ii) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन दावे की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर वृद्धि दावों का निपटान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
	3. निधियों की उपलब्धता के अधीन पूर्णरूपेण प्रलेखित पीएंडके उर्वरकों के दावों के संबंध में 10 दिन के भीतर लेखागत भुगतान के रूप में कुल राजसहायता बिलों की 85/90% प्राप्ति	10	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
	4. निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन उर्वरकों के भुगतान तथा बिक्री/दावों की प्राप्ति सहित 30 दिन के भीतर पीएंडके उर्वरकों का शेष भुगतान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
डीबीटी स्कीम स्वदेशी तथा आयातित पीएंडके, आयातित यूरिया तथा शहरी कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का समय से भुगतान	खुदरा विक्रेता द्वारा लाभग्राही को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक/ विनिर्माता/आयातक कंपनियों को राजसहायता का 100% भुगतान उपलिध: संपूर्ण देश में डीबीटी को चरणबद्ध तरीके से निरंतर लागू किया जा रहा है और यह मार्च, 2018 तक पूरा हो जाएगा। अगले वित्त वर्ष 2018-19 में उपलिध्यों की मात्रा का पता चल जाएगा।	7	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
उर्वरक कंपनियों के 100% उत्पादन का समय पर निर्धारण	खरीफ के लिए मार्च तक रबी के लिए सितम्बर तक	31 मार्च 30 सितम्बर	दिनांक	फाइलें और रिकार्ड
विक्रेताओं को समय पर बिलों का भुगतान	दिनों की संख्या	30	कार्य दिवस	100%
मांगी गई जानकारी का उत्तर	दिनों की संख्या	30	कार्य दिवस	100%
	स्वदेशी तथा आयातित पीएंडके, आयातित यूरिया तथा शहरी कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का समय से भुगतान उर्वरक कंपनियों के 100% उत्पादन का समय पर निर्धारण विक्रेताओं को समय पर बिलों का भुगतान	(ii) जारी रियायत दर पर 60 दिन के भीतर आरंभिक भुगतान। (iii) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन दावे की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर वृद्धि दावों का निपटान 3. निधियों की उपलब्धता के अधीन पूर्णरूपेण प्रलेखित पीएंडके उर्वरकों के दावों के संबंध में 10 दिन के भीतर लेखागत भुगतान के रूप में कुल राजसहायता बिलों की 85/90% प्राप्ति 4. निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन उर्वरकों के भुगतान तथा बिक्री/दावों की प्राप्ति सिहत 30 दिन के भीतर पीएंडके उर्वरकों का शेष भुगतान खुदरा विक्रेता द्वारा लाभग्राही को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक/ विनिर्माता/आयातक कंपनियों को राजसहायता का 100% भुगतान उपलिध: संपूर्ण देश में डीबीटी को चरणबद्ध तरीके से निरंतर लागू किया जा रहा है और यह मार्च, 2018 तक पूरा हो जाएगा। अगले वित्त वर्ष 2018-19 में उपलब्धियों की मात्रा का पता चल जाएगा। उर्वरक कंपनियों के 100% उत्पादन का समय पर निर्धारण विक्रेताओं को समय पर बिलों का वित्त वर्ष दिनों की संख्या	(i) जारी रियायत दर पर 60 दिन के भीतर आरंभिक भुगतान। (ii) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन दावे की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर वृद्धि दावों का निपटान 3. निधियों की उपलब्धता के अधीन पूर्णरूपेण प्रलेखित पीएंडके उर्वरकों के दावों के संबंध में 10 दिन के भीतर लेखागत भुगतान के रूप में कुल राजसहायता बिलों की अ5/90% प्राप्ति 4. निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन उर्वरकों के भुगतान तथा बिकी/दावों की प्राप्ति सहित 30 दिन के भीतर पीएंडके उर्वरकों का शेष भुगतान स्वदेशी तथा आयातित पीएंडके, अव्यादान बिलों की प्राप्ति सहित 30 दिन के भीतर पीएंडके उर्वरकों का शेष भुगतान युदरा विक्रेता द्वारा लाभग्राही को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक विक्रीता या शहरी कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का 100% भुगतान उपलब्धि: संपूर्ण देश में डीबीटी को चरणबद्ध तरीके से निरंतर लागू किया जा रहा है और यह मार्च, 2018 तक पूरा हो जाएगा। अगले वित्त वर्ष 2018-19 में उपलब्धियों की मात्रा का पता चल जाएगा। उर्वरक कंपनियों के 100% उत्पादन खरीफ के लिए मार्च तक यदी के लिए मित्रन्वर तक 30 सितम्बर विक्रेताओं को समय पर बिलों का दिनों की संख्या 30	(i) जारी रियायत दर पर 60 दिन के भीतर आरंभिक भुगतान। (ii) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन दावे की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर वृद्धि दावों का निपटान 3. निधियों की उपलब्धता के अधीन पूर्णरूपेण प्रलेखित पीएंडके उर्वरकों के दावों के संबंध में 10 दिन के भीतर लेखागत भुगतान के रूप में कुल राजसहायता बिलों की 85/90% प्राप्ति 4. निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन उर्वरकों के भुगतान तथा बिक्री/दावों की प्राप्ति सहित 30 दिन के भीतर पीएंडके उर्वरकों का शेष भुगतान 30 कार्य दिवस 4. निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन उर्वरकों के भुगतान तथा बिक्री/दावों की प्राप्ति तहित 30 दिन के भीतर पीएंडके उर्वरकों का शेष भुगतान 31 कार्य दिवस 32 कार्य दिवस 33 कार्य दिवस 34 कार्य दिवस 5 कार दिवस 5 कार दिवस 5 कार्य दिवस 5 कार्य दिवस 5 कार दिवस 5 का

7.	शिकायत का त्वरित निवारण	दिनों की संख्या	30	कार्य दिवस	विभाग	से	संबंधित
					मामलों का	30 '	दिनों के
					भीतर नि	पटान	किया
					गया। तश	ग्रपि,	उर्वरक
					पीएसयू से	संबंधि	ोत कुछ
					मामलों र	में 3	30 से
					अधिक	दिन	लगे।
					तथापि, य	गचिक	ाओं के
					निपटान र्व	ने औ	सत दर
					पूर्व में 40	3 मा	मलों से
					कम होकर	34	मामले
					हो गई	है।	समग्र
					निपटान त	करीब	ਜ 80%
					है।		

उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र (2020)

वेबसाइट -http://pgportal.gov.in/ पर देखें।

शिकायत निवारण अधिकारी:-

क्रम सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन	ई-मेल	मोबाइल
1.	श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, संयुक्त सचिव	011-2338 0221	Sensharm.up@nic.in	8874555513

उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र (2020)

पणधारियों/ग्राहकों की सूची

क्र.सं.	पणधारी/ग्राहक
1.	उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी पीएसय्/सहकारी समिति, अपनी वेबसाइटों सहित, इस प्रकार हैं:-
	1. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-www.nationalfertilizers.com
	2. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)-www.rcfltd.com
	3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)-www.madrasfert.in
	4. दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)-www.fact.co.in
	5. प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)-www.pdilin.com
	6. ब्रह्मप्त्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)-www.bvfcl.com
	7. एफसीआई-अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल)-www.fagmil.nic.in
	8. फर्टिलाइजर को-आपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)-www.fertcorpindia.nic.in
	9. कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको)-www.kribhco.net
	10. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) - www.iffco.in
	आगे जानकारी के लिए कंपनियों की संबंधित वेबसाइट देखी जा सकती है।
2.	अन्य सभी उर्वरक उत्पादक कंपनियां
	आगे जानकारी के लिए कंपनियों की संबंधित वेबसाइट देखी जा सकती हैं।
3.	कृषि एवं सहकारिता विभाग
4	राज्य सरकारें
5	उर्वरकों के आयातक (यूरिया, डीएपी, एमओपी, मिश्रित)
	आगे जानकारी के लिए उर्वरक विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है।
6.	आयातक/कच्ची सामग्री आपूर्तिकर्ता
	आगे जानकारी के लिए उर्वरक विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है।
7.	अन्य मंत्रालय (वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, योजना आयोग, लोक उद्यम
	विभाग, लोक उद्यम चयन बोर्ड, प्रशुल्क आयोग, डीजीएफटी आदि।
8.	किसान

उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र (2020)

उत्तरदायी केन्द्र और अधीनस्थ संगठन

क्र.सं.	उत्तरदायी केन्द्र और अधीनस्थ	लैंडलाइन नं.	ई-मेल	मोबाइल नं.	पता
1.	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी)- यह	26109820	dirfa-fert@nic.in	9873430441	8वां तल, सेवा भवन, आर.के.
	उर्वरक विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।				पुरम, नई दिल्ली
2.	प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	2529809	noida@pdilin.com	8527889103	पीडीआईएल भवन, ए-14,
	(पीडीआईएल)				सेक्टर-1, नोएडा-201301,जिला
					गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	25941001	cmd@madrasfert.nic.in	9810077986	मणिल, चेन्नै -600068
4.	एफसीआई-अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया	2544392	fagmil@redifmail.com	9810593331	मांगू सिंह राजवी मार्ग, पावटा ''बी''
	लिमिटेड (फैगमिल)				रोड जोधपुर-342010 (राजस्थान)
5.	ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड	2500207	bvfclnam@bsnl.in	9711350282	नामरूप, पो.आ. परपातपुर-786623,
	(बीवीएफसीएल)				जिला डिब्र्गढ़, असम
6.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	24045100	corptech@rcfltd.com	9868222899	ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे 'सायन'
	(आरसीएफ)				मुंबई-400 074
7.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	2412383	snmahey@nfl.co.in	9818662210	ए-10, सेक्टर-24, नोएडा-201301,
					जिला गौतमबुद्ध नगर (यूपी)
8.	दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	2546126	fact@vsnl.net	9910465577	उद्योगमंडल-683501, केरल
	(फैक्ट)				
9.	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	2537113	rajanchowdhry @kribhco.net	9910331445	प्लॉट नं.ए-10, सेक्टर-1, नोएडा-
					201301, जिला गौतमबुद्ध नगर
					(यूपी)
10	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर, को-आपरेटिव लिमिटेड	42592601	usawasthi@iffco.in	9810113096	इफ्को सदन, सी-1, जिला सेंटर
	(इफ्को)				साकेत प्लेस, नई दिल्ली -
					110017

नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र-उर्वरक विभाग (2020)

सेवा से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

क्र.सं.	सेवा प्राप्त कर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षाएं
1.	राजसहायता दावों की संपूर्ण दस्तावेजों के साथ समय पर प्रस्तुति
2.	कृषि एवं सहकारिता विभाग और राज्य सरकारों से उर्वरकों की आवश्यकता का पुष्ट और वास्तविक प्रक्षेपण
3.	राज्य सरकार द्वारा केवल कृषि उद्देश्य के लिए उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करना
4.	काला बाजारी/जमाखोरी/चोरी रोकने के लिए उर्वरकों की बिक्री पर निगरानी
5.	उर्वरक उत्पादक उद्योग द्वारा उत्पादन सुनिश्चित करना
6.	पीएसयूज द्वारा ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना
7.	किसानों द्वारा उर्वरकों का संतुलित उपयोग
8.	किसानों द्वारा निर्धारित एमआरपी पर उर्वरकों की खरीद
9.	जिला कलेक्टरों अथवा कृषि विभाग को कालाबाजारी/कदाचार की घटना की जानकारी
10.	वितरण, संचलन, बिक्री और उर्वरकों से जुड़े किन्हीं अन्य मामलों में सुधार के लिए सुझाव